रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052026-272608
CG-DL-E-15052026-272608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]	नई दिल्ली बुधवार, मई 13, 2026/वैशाख 23, 1948
No. 326]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2026

सा.का.नि. 360(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं .–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) किसी ग्रेड के संबंध में "नियुक्त प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I, के उपबंधों के अधीन उस ग्रेड में नियुक्ति करने के लिए सशक्त है;

(ख) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जब ये नियम प्रवृत्त हों;

(ग) किसी ग्रेड के संबंध में "अनुमोदित सेवा" से अभिप्रेत है -

(i) उस ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए किसी अधिकारी के संबंध में, उस वर्ष से, जब सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, अगले वर्ष के जुलाई मास की पहली तारीख से उस ग्रेड में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें अनुपस्थिति की वह अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसके दौरान उसने ग्रेड में नियमित आधार पर तब पदधारित किया रहता, यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या उस पद को धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता;

(ii) उस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के संबंध में उस वर्ष के जुलाई मास की पहली तारीख से, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गई थी, ग्रेड में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें अनुपस्थिति की वह अवधि या अवधियां सम्मिलित है जिसके दौरान उसने ग्रेड में नियमित आधार पर उस दशा में ऐसा पद धारित किया रहता, यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या उक्त पद पर धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता;

(iii) निम्नतर ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर ग्रेड में भर्ती किए गए किसी अधिकारी के संबंध में उस वर्ष के जुलाई मास की पहली तारीख से, जिसके लिए भर्ती की गई थी, ग्रेड में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां जिसमें अनुपस्थिति की वह अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसके दौरान उसने ग्रेड में नियमित आधार पर उस दशा में पदधारित किया रहता है जिसके दौरान यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या उक्त पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता:

परंतु उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित मामलों में से किसी में भी नियुक्ति ग्रहण करने में नब्बे दिन से अधिक का विलंब हो तो वह विलंब उस अधिकारी की किसी त्रुटि से नहीं होना चाहिए;

(घ) सेवा की किसी ग्रेड के संबंध में "प्राधिकृत संख्या" से उस ग्रेड में ड्यूटी पदों की वह संख्या, जो नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट है, अभिप्रेत है जिसके प्रति नियमित नियुक्तियां की जा सकेंगी;

(ङ) "संवर्ग" से रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में उच्च प्रशासनिक ग्रेड (सलाहकार), वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (संयुक्त सचिव या कार्यकारी निदेशक), वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक), चयन ग्रेड (उप सचिव या संयुक्त निदेशक), ग्रेड-I (अवर सचिव या उप निदेशक), अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी के पदों का समूह अभिप्रेत है;

(च) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के किसी भी ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के संबंध में "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी" से रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) अभिप्रेत है;

(छ) किसी भी ग्रेड के संबंध में "संवर्ग अधिकारी" से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ज) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(झ) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में "निर्णायक तिथि" से उस वर्ष की जुलाई की पहली तारीख अभिप्रेत है, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है;

(ञ) "सीधी भर्ती" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की गई विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से भिन्न, किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती की गई है;

(ट) सेवा की किसी ग्रेड के संबंध में "ड्यूटी पद" से वह संवर्ग पद अभिप्रेत है जो सेवा के अधिकारियों ने उस ग्रेड के किसी पद में मूल आधार पर धारित किया हुआ है;

(ठ) "पात्र अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसने रेल मंत्रालय द्वारा विहित संवर्ग प्रशिक्षण योजना, यदि कोई हो, के अंतर्गत अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और जो नियम 8, 9 और 10

के अधीन रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा की, यथास्थिति, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड, ग्रेड-I, अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र हो, उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को जिसके लिए चयन सूची तैयार की जाती है;

(ड) "चयन क्षेत्र" से पात्र अधिकारियों की वह सूची अभिप्रेत है, जिसमें से चयन सूची में शामिल करने के लिए चयन किया जाएगा;

(ढ) "ग्रेड" से नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड अभिप्रेत है;

(ण) "सरकार" से रेल मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(त) सेवा की किसी ग्रेड के संबंध में "सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा" से, यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उस ग्रेड के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा अभिप्रेत है;

(थ) "मंत्रालय" से भारत सरकार का रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) अभिप्रेत है;

(द) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित जातियां और समुदाय अभिप्रेत हैं;

(ध) "स्थायी अधिकारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सेवा में पुष्टिकरण किया गया है;

(न) "दिव्यांग व्यक्ति" से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (ध) में परिभाषित दिव्यांग व्यक्ति अभिप्रेत है;

(प) "परिवीक्षाधीन" से वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसे सहायक अनुभाग अधिकारी की ग्रेड में सीधे भर्ती किया गया है या प्रोन्नत किया गया है या नियमित रिक्ति के लिए परिवीक्षा पर ग्रेड-I में नियुक्त किया गया है;

(फ) किसी ग्रेड के संबंध में "वरिष्ठता की सीमा" से उस ग्रेड को चयन सूची में जोड़ने के लिए वरिष्ठता सूची में केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा अभिप्रेत है;

(ब) किसी ग्रेड के संबंध में "नियमित अधिकारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सीधी भर्ती के माध्यम से या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से या चयन सूची से प्रोन्नति के माध्यम से नियमित रिक्ति के लिए नियुक्त किया गया है और जिसने नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नियम 12 के अधीन परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है;

(भ) किसी ग्रेड के संबंध में "नियमित रिक्तियाँ" में पदधारियों की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, प्रोन्नति, त्यागपत्र, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण या एक वर्ष से अधिक लंबी छुट्टी से उत्पन्न रिक्तियां सम्मिलित हैं;

(म) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(य) "अनुसूचित जाति" तथा "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमश: खंड (24) तथा (25) द्वारा उनके लिए निर्दिष्ट हैं;

(य क) "चयन सूची" से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड, ग्रेड -I, अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के संबंध में, यथास्थिति, नियम 8 के उपनियम (6), नियम 9 के उपनियम (3) या नियम 10 के उपनियम (5) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार तैयार की गई चयन सूची अभिप्रेत है;

(य ख) "चयन" से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा की किसी भी ग्रेड के लिए चयन सूची में शामिल होना अभिप्रेत है;

(य ग) "सेवा" से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा अभिप्रेत है;

(य घ) किसी भी ग्रेड के संबंध में "वरिष्ठता सूची" से उस ग्रेड के अधिकारियों की नियत तिथि को वरिष्ठता सूची अभिप्रेत है, जिसे संबंधित विनियमों के अनुसार वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया जाता है;

(य ङ) "विचाराधीन क्षेत्र" से पात्र अधिकारियों की सूची अभिप्रेत है जिसमें से चयन सूची में नाम शामिल किये जायेंगे;

3. सेवा की संरचना.- (1) सेवा में सात ग्रेड होंगे, जिन्हें नीचे दी गई सारणी में दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है:-

सारणी

क्र.सं.	पद समूह	ग्रेड	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	'क'	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (सलाहकार)	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा समूह 'क' अनुसचिवीय
2.	'क'	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (संयुक्त सचिव या कार्यकारी निदेशक)	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा समूह 'क' अनुसचिवीय
3.	'क'	वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक)	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा समूह 'क' अनुसचिवीय
4.	'क'	चयन ग्रेड (उप सचिव या संयुक्त निदेशक)	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा समूह 'क' अनुसचिवीय
5.	'क'	ग्रेड-I (अवर सचिव या उप निदेशक)	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा समूह 'क' अनुसचिवीय
6.	'ख'	अनुभाग अधिकारी	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अनुसचिवीय
7.	'ख'	सहायक अनुभाग अधिकारी	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अनुसचिवीय

(2) उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड, ग्रेड-I तथा अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद राजपत्रित पद होंगे तथा सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद अराजपत्रित पद होंगे

4. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों की संयुक्त पदक्रम सूची.– नियम 3 में विनिर्दिष्ट सेवा के प्रत्येक ग्रेड के लिए एक संयुक्त पदक्रम सूची होगी जिसे वरिष्ठता सूची कहा जाएगा।

5. सेवा की प्राधिकृत संवर्ग संख्या.- सेवा की विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे

6. संवर्ग अधिकरियों द्वारा धारित किए जाने वाले ड्यूटी पद.- सेवा में प्रत्येक ड्यूटी पद, समुचित ग्रेड के संवर्ग अधिकारी द्वारा धारित किया जाएगा।

7. पुष्टिकरण.- रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सभी अधिकरियों की पुष्टि सेवा में प्रवेश स्तर पर केवल एक बार की जाएगी।

8. उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड और ग्रेड-I में भर्ती. -

(1) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में नियमित रिक्ति को, समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के नियमित अधिकारी की पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी।

(2) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियमित रिक्तियां उन नियमित अधिकारियों की प्रोन्नति से भरी जाएंगी, जिन्होंने रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और जिन्हें न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वरिष्ठ चयन ग्रेड के पद के लिए उपयुक्त माना गया हो और जो उप-नियम (6) के अधीन तैयार की गई वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित हों।

(3) वरिष्ठ चयन ग्रेड में नियमित रिक्तियां चयन ग्रेड के उन नियमित अधिकारियों की प्रोन्नति से भरी जाएंगी, जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और जो उप-नियम (6) के अधीन तैयार की गई वरिष्ठ चयन ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित हों:

परंतु जहां पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले पात्र अधिकारियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, वहां चयन ग्रेड के नियमित अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और ग्रेड-I में उनकी नियुक्ति से कम से कम दस वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो, वे भी प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(4) चयन ग्रेड में नियमित रिक्तियां ग्रेड-I के ऐसे नियमित अधिकारियों की प्रोन्नति से भरी जाएंगी, जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और उप-नियम (6) के अधीन चयन ग्रेड के लिए तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित हों।

(5) ग्रेड-I में नियमित रिक्तियां अनुभाग अधिकारी ग्रेड के उन नियमित अधिकारियों की प्रोन्नति से भरी जाएंगी, जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और उप-नियम (6) के अधीन तैयार की गई सेवा के ग्रेड-I के लिए चयन सूची में सम्मिलित हों।

(6) उप-नियम (2), (3), (4) और (5) के प्रयोजनों के लिए, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड और ग्रेड-I के लिए चयन सूची वार्षिक रूप से तैयार और प्रकाशित की जाएगी और चयन सूचियों को तैयार करने और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया विनियमों में यथा उपबंधित होगी:

परंतु ग्रेड-I के लिए चयन सूची आयोग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

9. अनुभाग अधिकारी ग्रेड में भर्ती.- (1) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित रिक्तियों को अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति से भरा जाएगा, जिसमें पचास प्रतिशत सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के नियमित अधिकारियों में से होंगे, जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा प्रदान की हो और पचास प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित व्यक्तियों में से होंगे।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट होंगे:

परंतु यदि किसी भर्ती वर्ष में संवर्ग इकाई में रिक्तियां भरने के लिए अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा या ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, अपूरित रिक्तियों को अग्रेनीत की जाएंगी और उन्हें अगले वर्ष में भरी जाने वाली भर्ती के उसी तरीके की रिक्तियों की संख्या में जोड़ा जाएगा:

परंतु यह और कि उक्त अपूरित रिक्तियों को उस वर्ष के पश्चात् जिससे कि भर्ती संबंधित है, दो भर्ती वर्षों से अधिक के लिए अग्रेषित नहीं किया जाएगा और इसके पश्चात् यदि भर्ती की एक रीति से संबंधित रिक्तियां, अपूरित रह जाएं तो उन्हें भर्ती की अन्य रीति के लिए अतिरिक्त रिक्तियों के तौर पर अंतरित किया जाएगा।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची तैयार करने और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

10. सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में भर्ती.- (1) सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित रिक्तियों का पचहत्तर प्रतिशत, कंप्यूटर में दक्षता प्राप्त स्नातकों की सीधी भर्ती से भरा जाएगा, जैसा कि रेल मंत्रालय से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए वर्ष में एक बार आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा और शेष पच्चीस प्रतिशत रिक्तियां सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति से भरी जाएंगी, जिसमें रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड के नियमित अधिकारियों में से कुल पंद्रह प्रतिशत शामिल होंगे, जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम दस वर्ष की अनुमोदित सेवा प्रदान की हो और दस प्रतिशत, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के वरिष्ठ सचिवालय सहायकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित व्यक्तियों में से होंगे, जिसका आयोजन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए वर्ष में एक बार किया जाएगा।

परंतु कि पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचित तिथि को नियमित आधार पर वरिष्ठ सचिवालय सहायक का पद धारण करने वाले अधिकारियों के लिए पात्रता सेवा पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा जारी रहेगी।

परंतु यह और कि जहां दस वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले पात्र वरिष्ठ सचिवालय सहायकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, वहां मल्टी-टास्किंग स्टाफ ग्रेड से वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड तक इक्कीस वर्ष की अनुमोदित सेवा (वरिष्ठ सचिवालय सहायक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा सहित) प्रदान करने वाले अधिकारी भी सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मलित होने के लिए पात्र होंगे।:

परंतु यह भी कि भर्ती वर्ष 2004 और भर्ती वर्ष 2011 के लिए रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के संवर्ग पुनर्संरचना से उत्पन्न सहायक अनुभाग अधिकारी की परिणामी रिक्तियों को वरिष्ठता के माध्यम से वरिष्ठ सचिवालय सहायक से भरा गया समझा जाएगा।

(2) जिन व्यक्तियों का नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है उनकी नियुक्ति, उस चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में की जाएगी।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची वार्षिक रूप से तैयार की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट प्रतियोगी परीक्षाओं और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम, विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

(5) सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची तैयार और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

11. विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना.- सेवा के विभिन्न ग्रेडों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

12. परिवीक्षा.- (1) प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किया गया हो या प्रोन्नत किया गया हो या ग्रेड-I में नियुक्त किया गया हो, प्रारंभ में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा और परिवीक्षा की अवधि, नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की होगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त समझे, किसी भी मामले में बढ़ाई जा सकेगी, परंतु परिवीक्षा बढ़ाए जाने की कुल अवधि, उस स्थिति को छोड़कर जहां अधिकारी के विरूद्ध लंबित किसी विभागीय या विधिक कार्यवाहियों के कारण आवश्यक हो, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान, सेवा के सदस्य से केंद्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना और परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगी।

13. परिवीक्षा का समापन.- (1) परिवीक्षा अवधि या विस्तारित परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो, पूरा होने पर, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन करेगा, और या तो घोषित करेगा:-

(क) कि परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई है;

(ख) कि परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है; या

(ग) नियम 12 के उप-नियम (2) के अधीन परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जानी है।

(2) जब परिवीक्षा पर चल रहे सीधे भर्ती किया गया अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान के लिए परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो वह सेवा में पुष्टि के लिए पात्र होगा और जब ऐसा अधिकारी अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता है, तो उसे नियम 14 के अनुसार सेवामुक्त या प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(3) एक अधिकारी तब तक परिवीक्षा पर रहेगा, जब तक कि उसे इस नियम के अधीन पुष्टि नहीं कर दिया जाता है या नियम 14 के अधीन सेवा मुक्त या प्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाता है।

14. परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवामुक्ति या प्रत्यावर्तन.- (1) एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, वह बिना किसी सूचना के किसी भी समय सेवा से उन्मोचित किए जाने का दायी होगा, यदि -

(i) परिवीक्षा के दौरान उसके कार्य निष्पादन या आचरण के आधार पर उसे सेवा में आगे बनाए रखने के लिए अयोग्य माना जाता है; या

(ii) उसकी राष्ट्रीयता, आयु, स्वास्थ्य या पूर्ववृत्त से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वह सेवा का सदस्य होने के लिए अपात्र या अन्यथा अयोग्य है।

(2) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति का केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार हो उसे उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में उक्त पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

(3) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नियम 12 के उप-नियम (1) में विहित परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर या उस नियम के उप-नियम (2) के अधीन परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के अंत में, यदि कोई हो, की पुष्टि के लिए उपयुक्त न समझा गया हो उसे, यथास्थिति, उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अनुसार सेवामुक्त या प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(4) सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड या ग्रेड-I में सीधी भर्ती से भिन्न सेवा के ऐसे परिवीक्षाधीन सदस्य को नियम 12 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि या उस नियम के उप-नियम (2) के अधीन परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, के दौरान या समाप्ति पर उस ग्रेड में बने रहने के लिए उपयुक्त न समझा गया हो उसे, यथास्थिति, सेवा की ठीक नीचे की ग्रेड में या रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा की उस संबंधित ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिससे वह सेवा के ग्रेड में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था :

परंतु इस प्रकार नीचे की ग्रेड में प्रत्यावर्तित अधिकारी की परिवीक्षा पर उच्चतर ग्रेड में नियुक्ति के लिए, ऐसे प्रत्यावर्तन की तारीख से एक वर्ष पूरा होने के बाद ही पुनर्विचार किया जाएगा।

15. वरिष्ठता.- (1) नियत दिवस से पहले किसी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्षिक वरिष्ठता, उक्त तारीख से पहले यथा अवधारित उनकी सापेक्षिक वरिष्ठता द्वारा विनियमित की जाएगी:

परंतु यदि ऐसे किसी अधिकारी की वरिष्ठता उस तारीख से पहले विनिर्दिष्ट रूप से निर्धारित न की गई हो, तो वह रेल मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित होगी।

(2) नियत दिवस के बाद किसी ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नलिखित अनुसार निर्धारित की जाएगी, अर्थात्:-

I. **उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड, ग्रेड-I और अनुभाग अधिकारी :-**

नियुक्ति के दिन के पश्चात् उस ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता उन आदेशों से विनियमित की जाएगी जिन आदेशों में उनके नाम ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए गए हों।

II. **सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड :-**

(क) सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्राप्त अंतिम रैंकिंग के आधार पर मेरिट के क्रम में परस्पर रैंक किया जाएगा, पूर्व परीक्षा द्वारा भर्ती हुए अभ्यर्थियों की वरिष्ठता रैंक पश्चात् की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के रैंक से पहले निर्धारित की जाएगी :

परंतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता समूह 'ख' केन्द्रीय सिविल सेवा पर लागू ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी।

(ख) ग्रेड के लिए चयन सूची से ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का परस्पर पदक्रम इस प्रकार रैंक किया जाएगा जिसमें वे नियुक्त किए जाते हैं।

(ग) ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों और ग्रेड के लिए चयन सूची से ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता विनियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित की जाएगी।

16. वेतन का विनियमन.- (1) विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों का वेतन एवं वेतनवृद्धि भारतीय रेल स्थापना संहिता और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए वेतन से संबंधित अन्य ऐसे ही रेल नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

(2) किसी ग्रेड में परिवीक्षाधीन का वेतन, नियोक्ता प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप परिवीक्षा का प्रत्येक वर्ष पूरा करने और विहित की गई आवधिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर, समय-वेतनमान में एक प्रक्रम बढ़ाया जाएगा।

17. विनियमन.- केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजन से प्रावधान करने के लिए उन सभी मामलों के लिए इन नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है।

18. अवशिष्ट मामले.- ऐसे मामलों के संबंध में जो इन नियमों या विनियमों या उसके अंतर्गत किए गए या जारी आदेशों या विशेष आदेशों में विनिर्दिष्ट रूप से शामिल नहीं हैं, सेवा के सदस्य सामान्यतः रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सिविल सेवा के लिए लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

19. शिथिल करने की शक्ति.- (1) केंद्रीय सरकार का रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) यदि इस बात से संतुष्ट है कि इनमें से किसी नियम के लागू होने से व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के लिए अनुचित कठिनाई पैदा हो रही हैं, तो वह आयोग के परामर्श से, नियमों की अपेक्षाओं की ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो वह आवश्यक समझे, समाप्त कर सकेगी या शिथिल कर सकेगी।

(2) केंद्रीय सरकार का रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) यदि इस बात से संतुष्ट है कि इन नियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम के लागू होने से व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के लिए अनुचित कठिनाई पैदा हो रही हैं, तो वह इन

नियमों के अधीन बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं को ऐसी सीमा तक और शर्तों के अध्यधीन, जो वह आवश्यक समझे, समाप्त या शिथिल कर सकेगी।

20. आरक्षण.- इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

21. निर्वचन.- यदि इन नियमों या इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो, निर्णय केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा निश्चित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

22. निरसन और व्यावृत्ति.- समय-समय पर यथासंशोधित रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 और उसके अधीन बनाए गए विनियम इसके द्वारा पूर्ववर्ती नियमों या विनियमों और ऐसे प्रारंभ से तत्काल पहले प्रवृत्त, के अंतर्गत किसी अधिसूचना, नियम, विनयम, जारी आदेश या नोटिस या की गई नियुक्ति या घोषणा, या दी गई छूट या अधिरोपित शास्ति या जुर्माना या की गई कोई चीज या की गई कोई कार्रवाई, जहां तक यह इन नियमों के उपबंधों के असंगत नहीं हैं, इन नियमों के सदृश उपबंधों के अधीन जारी किया गया, प्रदत्त किया, बताया गया या लिया गया समझा जाएगा।

अनुसूची

(नियम 5 देखें)

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा की विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत संख्या

वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में ग्रेड और स्तर#	संस्वीकृत संख्या *
उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (सलाहकार) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (रू. 182200–224100)	1
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (संयुक्त सचिव या कार्यकारी निदेशक) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (रू. 144200–218200)	5
वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रू. 123100–215900)	25
चयन ग्रेड (संयुक्त निदेशक या उप सचिव) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रू. 78800–209200)	64
ग्रेड-I (अवर सचिव या उप निदेशक) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रू. 67700–208700)	139
अनुभाग अधिकारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रू. 47600–151100) टिप्पण- उस ग्रेड की अनुमोदित सेवा के चार वर्ष पूरे होने पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में गैर-कार्यात्मक वेतन (56100-177500 रुपये)	276

सहायक अनुभाग अधिकारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रू. 44900-142400)	412
कुल	**922**

*कार्यभार/संवर्गीकरण/संवर्ग-पुनर्गठन आदि के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।

समय-समय पर सरकार द्वारा जारी वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर पर लागू आदेशों के अधीन।

टिप्पण- जिन अनुभाग अधिकारियों को यह गैर-कार्यात्मक वेतनमान दिया गया है, वे समूह ख (राजपत्रित) में बने रहेंगे और सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव या उप निदेशक) के पद पर प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता की गणना, अनुभाग अधिकारी के दोनों वेतनमानों में एक साथ गणना की गई कुल अवधि के आधार पर की जाएगी।

[फा. सं. ईआरबी-1/2012/11/2]

वी.एस. दहिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2026

G.S.R. 360(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “appointing authority” in relation to any Grade means the authority empowered under the provisions of Indian Railway Establishment Code, Volume-I, to make appointments to that Grade;

(b) “appointed day” means the date on which these rules come into force;

(c) “approved service” in relation to any Grade means -

(i) in respect of an officer recruited directly to that Grade, the period or periods of regular service rendered in that Grade, including the period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that Grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of July of the year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;

(ii) in respect of an officer recruited to that Grade through departmental examination, the period or periods of regular service rendered in that grade, including the period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade, but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of July of the year for vacancies of which such examination was held;

(iii) in respect of an officer recruited to that Grade on the basis of length of service in the lower Grade, the period or periods of regular service rendered in that Grade, including the period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that Grade, but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of July of the year for which the recruitment was made:

Provided that where there is a delay of more than ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii), such delay should not be due to any fault on the part of the officer;

(d) "authorised strength" in relation to any Grade of the Service means the strength of duty posts in that Grade, as specified in rule 5, against which regular appointments may be made;

(e) "cadre" means the group of posts in the Grades of Higher Administrative Grade (Adviser), Senior Administrative Grade (Joint Secretary or Executive Director), Senior Selection Grade (Director), Selection Grade (Deputy Secretary or Joint Director), Grade-I (Under Secretary or Deputy Director), Section Officer and Assistant Section Officer in the Ministry of Railways (Railway Board);

(f) "cadre controlling authority" in relation to officers appointed to any Grade of Railway Board Secretariat Service means the Ministry of Railways (Railway Board);

(g) "cadre officer" in relation to any Grade means a member of the Railway Board Secretariat Service;

(h) "Commission" means the Union Public Service commission;

(i) "crucial date" in relation to Limited Departmental Competitive Examination means the 1st day of July of the year in which the examination is held;

(j) "direct recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination, other than a departmental competitive examination recruited through the Staff Selection Commission;

(k) "duty post" in relation to any Grade of the Service means a Cadre post held by officers of the Service on substantive basis in any post of that Grade;

(l) "eligible officer" means any officer who has undergone and successfully completed such mandatory training programme as may be prescribed under cadre training plan, if any, by the Ministry of Railways and is eligible to be considered for appointment to Higher Administrative Grade, Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade, Selection Grade, Grade – I, Section Officer and Assistant Section Officers' Grade, as the case may be, of the Railway Board Secretariat Service, under rules 8, 9 and 10 as on the 1st July of the calendar year for which the Select List is prepared;

(m) "Field of Selection" means the list of eligible officers from which a selection shall be made for inclusion in the Select List;

(n) "Grade" means any of the Grade specified in rule 3;

(o) "Government" means the Government of India in the Ministry of Railways;

(p) "Limited Departmental Competitive Examination" in respect of any Grade of the Service means a competitive examination held by the Union Public Service Commission or the Staff Selection Commission, as the case may be, to select candidates for that grade;

(q) "Ministry" means Ministry of Railways (Railway Board) in the Government of India;

(r) "Other Backward Classes" means the castes and communities notified as Other Backward Classes by the Government of India from time to time;

(s) "permanent officer" means a person who has been confirmed in the Service;

(t) "person with disability" means the person with disability as defined in clause(s) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 (49 of 2016);

(u) "probationer" means an officer either directly recruited or promoted to the Assistant Section Officers' Grade or appointed to Grade-I on probation against a regular vacancy;

(v) "range of seniority" in relation to any grade means the range specified by the Central Government in the Ministry of Railways in the seniority list for that Grade for additions to Select List;

(w) “regular officer” in relation to any grade, means a person who has been appointed against a regular vacancy either through direct recruitment or through a Limited Departmental Competitive Examination or through promotion from Select List and who has completed the period of probation under rule 12 to the satisfaction of the appointing authority;

(x) “regular vacancies” in relation to a grade, includes vacancies arising out of death, retirement, promotion, resignation, deputation or transfer or long leave of incumbents exceeding one year;

(y) “Schedule” means the Schedule appended to these rules;

(z) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall have the same meanings as are assigned to them by clauses (24) and (25), respectively of article 366 of the Constitution;

(za) "Select List" in relation to the Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade, Selection Grade, Grade-I, Section Officers' Grade and the Assistant Section Officers’ Grade means the Select List prepared in accordance with the regulations made under sub-rule (6) of rule 8, sub-rule (3) of rule 9 or sub-rule (5) of rule 10, as the case may be;

(zb) “Selection” means inclusion in the Select List for any Grade of Railway Board Secretariat Service;

(zc) “Service” means the Railway Board Secretariat Service;

(zd) “seniority list” in relation to any Grade means the seniority list of officers of that Grade as on the appointed day and revised annually in accordance with the respective Regulations;

(ze) “zone of consideration” means the list of eligible officers from which inclusions shall be made in the Select List;

3. Composition of Service.- (1) There shall be seven grades in the Service, which are classified into two groups as given in Table below:-

TABLE

Sl. No.	Group of post	Grade	Classification
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	‘A’	Higher Administrative Grade (Adviser)	Railway Board Secretariat Service Group ‘A’ Ministerial
2.	‘A’	Senior Administrative Grade (Joint Secretary or Executive Director)	Railway Board Secretariat Service Group ‘A’ Ministerial
3.	‘A’	Senior Selection Grade (Director)	Railway Board Secretariat Service Group ‘A’ Ministerial
4.	‘A’	Selection Grade (Deputy Secretary or Joint Director)	Railway Board Secretariat Service Group ‘A’ Ministerial
5.	‘A’	Grade-I (Under Secretary or Deputy Director)	Railway Board Secretariat Service Group ‘A’ Ministerial
6.	‘B’	Section Officer	Railway Board Secretariat Service Group ‘B’ (Gazetted) Ministerial
7.	‘B’	Assistant Section Officer	Railway Board Secretariat Service Group ‘B’ (Non-Gazetted) Ministerial

(2) The posts in the Higher Administrative Grade, Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade, Selection Grade, Grade-I and the Section Officers’ Grade shall be Gazetted posts and those in the Assistant Section Officers’ Grade shall be Non-Gazetted posts.

4. **Combined Gradation List of Officers of Railway Board Secretariat Service**.- There shall be a single combined gradation list called seniority list for each grade of the Service as specified in rule 3.

5. **Authorised cadre strength of Service.-** The authorised strength of various grades of the Service and the level in pay matrix shall be as specified in the Schedule.

6. **Duty posts to be held by cadre officers.-** Every duty post in the Service shall be held by a cadre officer of appropriate Grade.

7. **Confirmation.-** Confirmation of all Railway Board Secretariat Service officers shall be made only once at the entry level into the Service.

8. **Recruitment to Higher Administrative Grade, Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade, Selection Grade and Grade –I.-** (1) The regular vacancy in Higher Administrative Grade of Railway Board Secretariat Service shall be filled up by promotion of regular officer of Senior Administrative Grade in accordance with the norms decided by Central Government in the Ministry of Railways in consultation with Department of Personnel and Training, from time to time.

(2) The regular vacancies in the Senior Administrative Grade shall be filled by promotion of regular officers who have rendered eight years' approved service in the Selection Grade of Railway Board Secretariat Service and have been assessed suitable for the post of Senior Selection Grade for a minimum period of three years and are included in the Select List for the Senior Administrative Grade prepared under sub-rule (6).

(3) The regular vacancies in the Senior Selection Grade shall be filled by promotion of regular officers of Selection Grade who have rendered not less than five years' approved service in that Grade and are included in the Select List for the Senior Selection Grade prepared under sub-rule (6):

Provided that where sufficient number of eligible officers with five years' approved service are not available, regular officers of Selection Grade with not less than three years' of regular service in that Grade and not less than ten years' of approved service from their appointment to the Grade-I shall also be eligible for promotion.

(4) Regular vacancies in the Selection Grade shall be filled by promotion of regular officers of Grade-I who have rendered not less than five years' approved service in that Grade and are included in the Select List for the Selection Grade prepared under sub-rule (6).

(5) Regular vacancies in Grade-I shall be filled by promotion of regular officers of the Section Officers' Grade who have rendered not less than eight years' approved service in that Grade and are included in the Select List for Grade- I of the Service prepared under sub-rule (6).

(6) For the purposes of sub-rules (2), (3), (4) and (5), a Select List for the Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade, Selection Grade and Grade-I shall be prepared and published annually and the procedure for preparing and revising the Select Lists shall be as provided in the Regulations:

Provided that the Select List for Grade-I shall be prepared in consultation with the Commission.

9. **Recruitment to Section Officers' Grade.-** (1) The regular vacancies in the Section Officers' Grade shall be filled by appointment of persons included in the Select List for Section Officers' Grade comprising fifty per cent. from regular officers of Assistant Section Officers' Grade who have rendered not less than eight years' approved service in that Grade and fifty percent. from persons selected through Limited Departmental Competitive Examination.

(2) The rules for the Limited Departmental Competitive Examination referred to in sub-rule (1) shall be as specified in Regulations:

Provided that if sufficient number of candidates are not available for filling up the vacancies in any recruitment year, either by Limited Departmental Competitive Examination or by promotion on the basis of seniority, the unfilled vacancies shall be carried forward and added to the number of vacancies of the same mode of recruitment to be filled in the next recruitment year:

Provided further that no such unfilled vacancies shall be carried forward for more than two recruitment years, beyond the year to which the recruitment relates, where after the vacancies, if any, still remaining unfilled

belonging to one mode of recruitment shall be transferred as additional vacancies for the other mode of recruitment.

(3) The procedure for preparing and revising Select List for Section Officers' Grade shall be as specified in Regulations.

10. Recruitment to Assistant Section Officers' Grade.- (1) Seventy-five per cent. of the regular vacancies in the Assistant Section Officers' Grade shall be filled by direct recruitment of graduates possessing computer proficiency as may be notified by the Ministry of Railways on the basis of results of a competitive examination held by the Staff Selection Commission once a year, for this purpose and the remaining twenty-five per cent. vacancies shall be filled by appointment of persons included in the Select List for Assistant Section Officers' Grade comprising fifteen per cent. of the total from the regular officers of Senior Secretariat Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service who have rendered not less than ten years' approved service in that Grade and ten per cent. from persons selected through Limited Departmental Competitive Examination for Senior Secretariat Assistants' of Railway Board Secretariat Clerical Service to be conducted by Staff Selection Commission, once in a year for this purpose:

Provided that eligibility service shall continue to be five years' of approved service for officials holding the post of Senior Secretariat Assistant on regular basis as on the date of notification of the revised rules:

Provided further that where sufficient number of eligible Senior Secretariat Assistants with ten years' approved service are not available, officials having rendered twenty-one years' approved service from Multi-Tasking Staff Grade till Senior Secretariat Assistants' Grade (including a minimum of five years' approved service as Senior Secretariat Assistant) shall also be eligible for inclusion in the Select List for Assistant Section Officers' Grade:

Provided also that the resultant vacancies of Assistant Section officer arisen from the cadre restructuring of Railway Board Secretariat Service for the recruitment year 2004 and recruitment year 2011 shall be deemed to have been filled up from Senior Secretariat Assistant through seniority.

(2) The appointments of the persons whose names have been included in the Select List shall be made in the order of seniority in that Select List.

(3) For the purpose of this rule, a Select List for the Assistant Section Officers' Grade shall be prepared and published annually.

(4) The rules for the Competitive Examinations and Limited Departmental Competitive Examination as referred to in sub- rule (1) shall be as specified in Regulations.

(5) The procedure for preparing and revising the Select List for Assistant Section Officers' Grade shall be as specified in Regulations.

11. Composition of Departmental Promotion Committee.- The composition of Departmental Promotion Committee for various Grades of the Service shall be as specified in Regulations.

12. Probation.- (1) Every officer, either directly recruited or promoted to the Assistant Section Officers' Grade or appointed to Grade-I shall initially be appointed on probation, the period of probation being two years from the date of appointment.

(2) The period of probation specified in sub-rule (1) may, if the appointing authority deems fit, be extended in any case, but the total period of extension of probation shall not, save where it is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the officer, exceed one year.

(3) During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Central Government in the Ministry of Railways may, from time to time, prescribe.

13. Completion of Probation.- (1) Upon completion of the probation period or the extended probation period, if any, the appointing authority shall assess the performance of the officer, as per prescribed procedure, and shall declare either:-

(a) that the probation has been successfully completed;

(b) that the probation has not been successfully completed; or

(c) that the probation period is to be extended under sub-rule (2) of rule 12.

(2) When a directly recruited officer undergoing probation has successfully completed the probation to the satisfaction of the appointing authority, he shall be eligible for confirmation in the Service and when such officer has not successfully completed his probation, he shall be discharged or reverted in accordance with rule 14.

(3) An officer shall continue to be on probation till he is confirmed under this rule or is discharged or reverted under rule 14.

14. Discharge or reversion of probationers.- (1) A probationer who has no lien on any post under the Central Government or any State Government shall be liable to be discharged from the Service at any time without notice if, -

(i) on the basis of his performance or conduct during probation, he is considered unfit for further retention in the Service; or

(ii) on the receipt of any information relating to his nationality, age, health or antecedents, the appointing authority is satisfied that he is ineligible or otherwise unfit for being a member of the Service.

(2) A probationer who holds a lien on a post under the Central Government or any State Government may be reverted to such post at any time in any of the circumstances specified in sub-rule (1).

(3) A probationer who is not considered suitable for confirmation at the end of the period of probation prescribed in sub-rule (1) of rule 12 or at the end of the extended period of probation, if any, under sub-rule (2) of that rule, shall be discharged or reverted in accordance with sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be.

(4) A member of the Service other than a direct recruit on probation in Assistant Section Officers' Grade or Grade-I who is not considered suitable for continuance in that Grade during or at the end of the period of probation specified in sub-rule (1) of rule 12 or the extended period, if any, under sub-rule (2) of that rule, shall be reverted to the next lower Grade of the Service or to the concerned Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service, as the case may be, from which he was appointed on probation to the Grade of the Service:

Provided that an officer so reverted to the lower Grade shall be reconsidered for appointment to the higher Grade on probation, only after completion of one year from the date of such reversion.

15. Seniority.- (1) The relative seniority of members of the Service appointed to any Grade before the appointed day shall be regulated by their relative seniority as determined before the said date:

Provided that, if the seniority of any such officer had not been specifically determined before the said date, it shall be as determined by the Central Government in the Ministry of Railways.

(2) The seniority of persons appointed to any Grade after the appointed day shall be determined as follows, namely:-

I. Higher Administrative Grade, Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade, Selection Grade, Grade-I and Section Officer:-

The *inter-se* seniority of officers appointed to the Grade after the appointed day shall be regulated by the order in which their names are included in the Select List for the Grade.

II. Assistant Section Officers' Grade:-

(a) Direct recruits shall be ranked *inter-se* in the order of merit reckoned on the basis of final ranking obtained on the basis of marks obtained by the candidate in the examination conducted by the Staff Selection Commission, the recruits of an earlier examination being ranked senior to those of a later examination:

Provided that the seniority of persons recruited through the Competitive Examination held by the Commission shall be such as may be prescribed by the Central Government applicable to Group 'B' Central Civil Services.

(b) Persons appointed regularly to a Grade from the Select List for the Grade shall be ranked *inter-se* according to the order in which they are so appointed.

(c) The relative seniority of direct recruits to a Grade and persons regularly appointed to the Grade from the Select List for the Grade shall be regulated in accordance with the provisions of Regulations.

16. **Regulation of Pay.-** (1) The pay and increments of officers of the various Grades shall be regulated in accordance with the Indian Railways Establishment Code and other similar Railway Rules and Orders relating to pay issued by Government from time to time.

(2) The pay of a probationer in a Grade may, on his completing each year of probation to the satisfaction of the appointing authority and qualifying the prescribed periodic tests, be raised by one stage in the time scale.

17. **Regulations.-** The Central Government in the Ministry of Railways (Railway Board) may make regulations, not inconsistent with these rules, to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effects to these rules.

18. **Residuary matters.-** In regard to matters not specifically covered by these rules or by Regulations or orders made or issued there under, or by special orders, the members of the Service shall be governed by the rules and orders applicable to the Railway Board Secretariat Service and Central Civil Services in general.

19. **Power to relax.-** (1) Where the Central Government in the Ministry of Railways (Railway Board) is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any class or category of persons or posts, it may dispense with or relax, in consultation with the Commission, the requirements of the rules to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary.

(2) Where the Central Government in the Ministry of Railways (Railway Board) is satisfied that the operation of any of the regulations made under these rules causes undue hardship in any class or category of persons or posts, it may dispense with or relax the requirements of the regulations made under these rules to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary.

20. **Reservations.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Section and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

21. **Interpretation.-** If any question arises as to the interpretation of these rules, or the Regulations made there under, the same shall be decided by the Central Government in the Ministry of Railways, whose decision thereon shall be final.

22. **Repeal and savings.-** The Railway Board Secretariat Service Rules, 1969 and regulations framed there under, as amended from time to time, in force before the commencement of these rules are hereby repealed subject to any notification, rule, regulation, order or notice issued, or any appointment or declaration made, or exemption granted or any penalty or fine imposed or any other thing done or any other action taken under the previous rules or regulations and in force immediately before such commencement shall so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been issued, made, granted, done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

(See rule 5)

Authorized strength of the various Grades of Railway Board Secretariat Service

Grade and Level in Pay Matrix or Pay Scale#	**Sanctioned Strength***
Higher Administrative Grade (Adviser) Level-15 in the pay Matrix (Rs. 182200–224100)	1
Senior Administrative Grade (Joint Secretary or Executive Director) Level-14 in the pay Matrix (Rs. 144200–218200)	5
Senior Selection Grade (Director) Level- 13 in the Pay Matrix (Rs. 123100–215900)	25

Selection Grade (Joint Director or Deputy Secretary) Level-12 in the Pay Matrix (Rs. 78800–209200)	64
Grade-I (Under Secretary or Deputy Director) Level- 11 in the Pay Matrix (Rs. 67700–208700)	139
Section Officer Level- 8 in the Pay Matrix (Rs. 47600–151100) Note- Non- functional Pay in Level 10 in the Pay Matrix (Rs. 56100–177500) on completion of four years of approved service that grade.	276
Assistant Section Officer Level-7 in the Pay Matrix (Rs. 44900-142400)	412
Total	**922**

*Subject to variation dependent on workload/ encadrement/ Cadre-restructuring etc.

Subject to the applicable orders on Level in Pay matrix or pay scale issued by the Government from time to time.

Note- The Section Officers, who are granted this non-functional pay scale will continue to remain in Group B (Gazetted) and their eligibility for promotion to Grade-I (Under Secretary or Deputy Director) of the Service will be reckoned on the basis of total period, spent in both the scales of Section Officer, counted together.

[F. No. ERB-1/2012/11/2]

V.S. DAHIYA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA